BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 26 मार्च, 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 35,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त युनुस पुत्र मौहम्मद अली निवासी ग्राम इकादा थाना सहदनगली जनपद अमरोहा द्वारा वर्ष- 2013 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्र निवासी एक महिला व एक बच्ची का अपहरण कर महिला से दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 07.06.2013 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं– 416/2013 धारा 363/366/376 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 03.09.2014 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 26.03.2025 को न्यायाधीश श्री वरुण मोहित निंगम(मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त युनुस को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 35,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विजय कुमार शर्मा व श्री ईशान चौधरी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।